उद्योग मित्र

राज्य के उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श, एवं नये उद्योगों/उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है। उद्योग मित्र के गठन सम्बन्धी शासनादेश निम्न प्रस्तुत हैः–

उत्तरांचल शासन
संख्याः 2639/औ0वि0/2001–150 उद्योग/2001
औद्योगिक विकास विभाग
सचिवालय, देहरादूनः दिनांक 15 नवम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में उद्यमियों से सीधा संवाद स्थापित किये जाने तथा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठकों में कार्य प्रक्रिया निर्धारित किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश भी गठित किये जाते हैः–

1	मा0 मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2	मा0 औद्योगिक विकास मंत्री	उपाध्यक्ष
3	मा0 वित्त मंत्री	सदस्य
4	मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री	सदस्य
5	मा0 शिक्षा मंत्री	सदस्य
6	मा0 लोक निर्माण मंत्री	सदस्य
7	मा0 सिचांई मंत्री	सदस्य
8	मा0 ऊर्जा मंत्री	सदस्य
9	मुख्य सचिव	सदस्य
10	सचिव, औद्योगिक विकास	सदस्य
11	सचिव, वन एवं पर्यावरण	सदस्य सचिव
12	सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
13	सचिव, ऊर्जा	सदस्य
14	सचिव, शिक्षा	सदस्य
15	सचिव, वित्त	सदस्य
16	सचिव, सिंचाई	सदस्य
17	नामित तीन औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
18	राज्य के तीन लीड बैंकों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों/विशेषज्ञों को भी नामित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उद्यमी अपनी समस्या को व्यक्तिगत रूप से भी रखना चाहता है तो उसे भी अध्यक्ष की अनुमति से राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।

उद्योग मित्र के कार्यः

राज्य स्तर पर उद्योग मित्र के कार्य निम्न प्रकार प्रस्तावित हैः–

1. राज्य में होने वाले औद्योगिकीकरण एवं लम्बी अवधि से लम्बित मामलों की समीक्षा एवं उन पर निर्णय करना।
2. नीति विषयक मामलों तथा उन उद्योगों की विशेष समस्याओं पर निर्णय किया जाना जिनमें विभागीय स्तर पर अथवा औद्योगिक विकास परिषद् में निर्णय सम्भव न हो सकें।
3. राज्य में औद्योगिक रूग्णता को दूर करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करना एवं मार्ग निर्देशन प्रदान करना।
4. औद्योगिक विकास में बाधक नियम, अधिनियम एवं शासनादेश जिनमें शिथिलीकरण की आवश्यकता हो, से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय करना।
5. ऐसे बिन्दुओं/प्रस्तावों, जो औद्योगिक नीति, 2001 में समाहित नही है किन्तु उन्हें स्वीकार किया जाना औद्योगिक विकास के हित में है, पर विचार एवं निर्णय करना।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी। बैठक का एजेण्डा निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिया जायेगा तथा बैठक से तीन दिन पूर्व सदस्यों के द्वारा अपने लिखित सुझाव समिति के सचिव को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

बैठक में लिये गये निर्णयों को लागू करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा प्रगति से औद्योगिक विकास परिषद को अवगत करायेंगे। बैठक के एजेण्डे का प्रारूप निम्न प्रकार होगाः–

<u>प्रारूप– क</u>

क्रमांक	सुझाव यदि कोई हो, का विवरण	विभाग का नाम	सुझाव में लाभ
0	1	2	3

<u>प्रारूप– ख</u>

क्रमांक	समस्या का विवरण	विभाग का नाम	निदान हेतु सुझाव
0	1	2	3

उपरोक्तानुसार प्रारूप– 'क' एवं 'ख' पर विचारोपरान्त निर्णय अंकित करते हुए कार्यवृत्त तैयार किये जायेंगे, जिसकी सूचना औद्योगिक विकास परिषद् तथा निदेशक उद्योग को दी जायेगी। प्रारूप– 'ग' पर अनुवर्ती कार्यवाही की सूचना आगामी बैठक में दी जायेगी।

क्रमांक	समस्या/सुझाव	बैठक की तिथि जिसमें प्रस्तुत किये गये	अनुवर्ती कार्यवाही	समिति का निर्णय
0	1	2	3	4

(एस0 कृष्णन्)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2639/सचिव/औ0वि0/पी0एस0/2001 समदिनांकित्।

प्रतिलिपिः

1. सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
5. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल, देहरादून को कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें एवं शासनादेश की प्रति समस्त जिला उद्योग केन्द्रों एवं प्रमुख औद्योगिक संगठनों को भी कृपया उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,
(एस0 कृष्णन्)
सचिव।